अध्याय IV

सीमा शुल्क राजस्व का निर्धारण

अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2010 से मार्च 2014) से हमने ₹ 115.52 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए। उनका वर्णन निम्निलिखित पैराग्राफों में किया गया एवं दो निर्धारण मामलें अनुबंधन 4 में सूचीबद्ध हैं।

भंडारण अवधि का अनियमित विस्तारण

4.1 सीमाशुल्क, केन्द्रीय उतपाद शुल्क और सेवा कर फिरती नियमावली 1995, नियम -3(यथा संशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के 72 या शीर्षक 1006 सा 2523 के अन्तर्गत आने वाली किसी भी वस्तु पर कोई फिरती अनुमत नहीं होगी। चूंकि उक्त निषेध प्रावधानों को शुरूआत के बाद से उत्तरवर्ती सीबीईसी अधिसूचनाओं द्वारा शीर्षों को जोड़ा या मौजूदा को हटा दिया गया था किन्तु शीर्ष 1006 आज भी मौजूद हैं।

अक्टूबर 2011 और फरवरी 2013 के बीच आयुक्त (पोर्ट) कोलकाता एवं सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) पश्चिम बंगाल के माध्यम से मै. जय गुरूदेव इंडस्ट्रीज एवं वेयर हाउसिंग और 113 अन्य ने 789 शिपिंग बिलों के प्रति सीटीएच 1006 के अन्तर्गत 'विभिन्न रूपों में चावल' निर्यात किए। निर्यात के सीमा शुल्क आईसीईएस डाटा की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने फिरती नियामावली 1995 के उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत इन वस्तुओं के निर्यात पर फिरती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ की अस्वीकार्य फिरती का भुगतान किया जोकि निर्यातको से ब्याज सहित ₹ 49.66 करोड़ वसूली योग्य है।

कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार न करते हुए (जनवरी/मार्च 2014) सूचना दी (मार्च 2014) कि मांग नोटिस जारी करने के बाद, 137 शिपिंग बिलों के प्रति 12 निर्यातकों से ₹ 38.74 लाख की वसूली की गई थी और 165 शिपिंग बिलों के संबंध में ₹ 45.13 लाख की फिरती के भुगतान को रोकने के लिए बैंक को निर्देश जारी कर दिया गए हैं। विभाग ने आगे बताया कि उपरोक्त उल्लिखित निषेध प्रावधानों की शुरूआत के बाद, भारत सरकार ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय शीर्ष 10 के

अन्तर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना सं. 68/2011 सी शु (एनटी) द्वारा सभी अनाज (शीर्ष 1006 के अन्तर्गत चावल सहित) के निर्यात के प्रति एकल 1 प्रतिशत शुल्क फिरती प्रारंभ की जिसे बाद में दिनांक 4 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना सं. 92/2012 सी शु (एनटी) द्वारा शीर्ष 1006 (चावल) के संबंध में 'शून्य' कर दिया गया था, दर्शाता है कि आपत्ति की अवधि (अर्थात् सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012) के दौरान शीर्ष 1006 के अन्तर्गत फिरती 'शून्य' नहीं थी। पश्चिम बंगाल (निवारक) आयुक्तालय ने भी इसी तर्ज पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया।

विभाग को सूचित किया गया (फरवरी/मार्च 2014) कि उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अध्याय 10 के अनाज के संबंध में 1 प्रतिशत की दर पर फिरती हमेशा से थी और दिनांक 29 मई 2008 की निषेध अधिसूचना सं. 64/2008 सी शु (एनटी) जारी करने के समय भी मौजूद थी। दिनांक 4 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना सं. 92/2012 सी शु (एनटी) अनाज के अध्याय 10 के संबंध में केवल एकल फिरती अनुसूची शीर्ष को केवल सीमा शुल्क अधिनियम 1975 में विभिन्न अनाजों (जैसे गेहूँ, राई, जौ, जई, चावल इत्यादि) के वर्गीकरण के साथ अलग उप-शीर्ष में विभाजित करती है जिनमें से निर्यातित चावल (सीटीएच 1006) पर फिरती को उपरोक्त उल्लिखित निषेध प्रावधानों के अनुरूप 'शून्य' दर्शाया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

4.2 पूंजीगत माल और स्पेयर्स को छोड़कर माल को ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों द्वारा तीन वर्षों की अवधि के अन्दर या जैसा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विस्तारित हो (प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.6 (सी) उपयोग किया जाना चाहिए। तथापि, आयातित चाय को आयात की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर उपयोग किया जाएगा। विशिष्ट शर्तों का अननुपालन ब्याज सहित पूर्व निश्चित शुल्क की वसूली आकर्षित करता है।

मै. टाटा ग्लोबल बेवरेजस लि. कोचीन, एक 100% ईओयू ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003 सी शु के तहत शुल्क रहित तीन प्रविष्टि के बिलों द्वारा 53376 कि.ग्रा चाय की मंजूरी दी (अक्टूबर/दिसम्बर

2011)। जैसा अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि यूनिट ने जैसा एफटीपी में अपेक्षित है छः महीने के अन्दर 35,196 कि. ग्रा. चाय का उपयोग नही किया। तदनुसार यूनिट 35,196 कि. ग्रा. अप्रयुक्त चाय की मात्रा पर ₹ 74.66 लाख से अधिक ब्याज की राशि के शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी। आयात की शर्तों के अननुपालन के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने के बजाय, विभाग ने सीमाशुल्क, 1962 की धारा 61 की शर्तों में और ईओयू द्वारा आयात की सामान्य शर्तों के अनुसार जैसा कि एफटीपी और एचबीपी नियमों में निर्दिष्ट है आगे छः महीने की अवधि के लिए भडांरण का विस्तारण प्रदान किया।

विभाग ने कहा (मई 2013) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचीन ने सहायक विकास आयुक्त द्वारा अनुमत विस्तारण के आधार पर भंडारण अवधि का विस्तरण प्रदान किया था, इस शर्त के साथ कि आयातित चाय को विसतारित अवधि के अन्दर पुनः निर्यात और चाय (डीएवंई) नियंत्रण आदेश के पैराग्राफ 2(V) में निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार किया जाए। आगे यह भी कहा गया कि अनुमोदित विस्तारण दिनांक 31 जुलाई 2008 की बैठक सं. 03/एएम/09 द्वारा नीति रियायत समिति (पीआरसी) द्वारा यथा प्राधिकृत था और यद्यपि पीआरसी द्वारा अनुमत विस्तारण केवल एक वर्ष के लिए था, सहायक विकास आयुक्त सीएसईजेड द्वारा एक वर्ष की समाप्ति के बाद आगे के निर्यात/परेषण के लिए विस्तारण दिया गया था। विभाग ने सूचना दी कि एफटीपी के पैरा 2.5 के अनुसार नीति रियायत समिति किसी नीति प्रावधान को कम करने के लिए सक्षम है ओर विकास आयुक्त द्वारा जारी विस्तारण पीआरसी द्वारा यथा प्राधिकृत हैं और इस प्रकार वह कानूनी रूप से समर्थित हैं। यह भी कहा गया कि माल को पुनः निर्यात किया गया था और इस प्रकार कोई राजस्व प्रभाव शामिल नहीं है।

विभाग का उत्तर कि फर्म द्वारा अक्टूबर और दिसम्बर 2011 द्वारा किए गए आयात पर पीआरसी लागू करने का निर्णय अर्थात् दिनांक 31 जुलाई 2008 को पीआरसी जारी के निर्णय की तिथि के बाद स्वीकार्य नहीं है। पीआरसी का निर्णय फर्म द्वारा किए गए एक विशेष आयात के संबंध में है आरै उसमें बाद के आयात के लिए रियायत लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि

टी बोर्ड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के बाद पीआरसी ने बैठक में एचबीपी के पैराग्राफ 6.7 (सी) और 4.22 में सामान्य संशोधन की जांच के निर्देश जारी किए थे, पैराग्राफ 6.7 (सी) {अब एचबीपी 2009-14 का 6.6 (सी)} में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में अभी ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। विभाग का तर्क कि विशिष्ट आयातक (मै. टाटा टी लि. अब मै. टाटा ग्लोबल बेवरेजस लि. के रूप में पुन: नाम रखा गया) द्वारा किए गए सभी आयातों को पीआरसी ने विस्तारण दिया था भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया था। एफटीपी में उत्तरवर्ती आयातों के लिए पीआरसी के अनुमोदन (जुलाई 2008) को लागू करने के लिए कोई प्रावधान नही हैं। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई थी (जनवरी 2015)।

खतरनाक एजो डाईज को भारत में लाने की मंजूरी जो पर्यावरण को असीमित नुकसान पहुंचा सकते थे

4.3 आईटीसी (एचएस), 2012 आयात नीति-अनुसूची 1 के अध्याय 1ए की शर्त 10 (पूर्व में शर्त11) के अनुसार, कपड़े और कपड़े की वस्तुओं का आयात इस शर्त के साथ अनुमत है कि उनमे कोई खतरनाक डाई नही होगी जिसकी संभलाई, उत्पादन, ढुलाई या उपयोग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (डी) इसके तहत बनाए गए सुसंगत नियम (मो) के साथ पठित के प्रावधानों के अन्तर्गत निषेध किया गया हो। इस उद्देश्य हेतु आयात परेषणों के साथ उद्ग्रम देश की राष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी से मान्यता प्राप्त कपड़ा जाचं प्रयोगशाला से पूर्व शिपमेंट प्रमाणपत्र संलग्न होगा। उन मामलों में जहां ऐसे प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, आयातित परेषण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिनांक 3 मई 2001 के सार्वजनिक नोटिस सं. 12 (आरई 2001)/1997-2002 में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय एजेंसी से जांचा और प्रमाणित किया जाएगा।

दिनांक 28 जनवरी 2004 का डीजीएफटी सार्वजनिक नोटिस सं. 29 (आरई 2004)/2002-07 और दिनांक 22 फरवरी 2005 का 26/2004-09 ओर सीबीईसी का दिनांक 15 मार्च 2004 का परिपत्र सं. 23/2004 सी शु के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय दोनों द्वारा भी

दोहराया गया है कि आयातित कपडे और कपडा वस्तुओं में एज़ो-डाइज जैसी खतरनाक डाई नही है को प्रमाणित करने वाले एक वैध पूर्व शिपमेंट प्रमाणपत्र की प्रस्तुती आवयक रूप से अनिवार्य है।

नान फिक्सड, पानी में धुलनशील एजो डाइज़ मानव शरीर में मैाखिक के अलावा पसीने के माध्यम, त्वचा और सीधे सांस लेने से प्रवेश कर सकती हैं और मानक शरीर में कुछ ऐज़ांइम सिस्टम द्वारा खंडित हो सकता है। यह डाईज़ जीवित शरीर के अन्दर सुगंधित एमाइंस से लघुकारक विदारण कर सकते हैं इसमें से कुछ साबित या संदिग्घ रूप से कैंसरकारी हैं। इसलिए यह एजो डाइज जो वर्तमान में बांग्लादेश कपड़ा क्षेत्र में उपयोग होने वाली डाइज का लगभग 60 से 70 प्रतिशत बनता हैं, प्रकृति में खतरनाक हैं और भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा 1997 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल (निवारक) कमिश्नरी के अन्तर्गत पैट्रापोल, चंगराबंध भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से बंगलादेश से विभिन्न टैक्सटाइल और कपड़ा, धागा, साडिया और लूंगी जैस हैंडलूम उत्पादों, रेडिमेट कपडे जैस टैक्सटाइल वस्तुओं के आयातों से संबंधित हस्तलिखित बिलों के साथ संलग्न दास्तावेजों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि लगभग सभी एसे आयातों की बांग्लादेश टैक्सटाइल यूनिवर्सिटी (बीयूटी) ढाका, एक एजेंसी जो बंग्लादेश प्रमाणीकरण बोर्ड (बीएबी) बंग्लादेश में प्रमाणीकरण हेतु उत्तर दायी राष्ट्रीय प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, से पूर्व शिपमेंट जाचं रिपोर्टों के आधार पर भारत में नियमित रूप से आयातों की मंजूरी दी जा रही थी। ऐसे माल को प्रमाणित करने के लिए बीएबी द्वारा केवल नौ संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है और बीयूटी बाका उनमें से एक नही है। इसलिए, ऐसे प्रत्येक आयात को डीजीएफटी और सीबीईसी के अनुसार अधिकृत भारतीय जांच एजेंसियों में से किसी से उसकी नमूना जांच और प्रमाणिकरण प्राप्त करने के लिए ही मंजूरी अनुमत की जानी चाहिए थी, जो नही किया गया था।

आयात डाटा की नमूना जाचं से पता चला कि 162 परेषणों और रेडीमेड कपड़ो के 283 परेषणों और ₹ 27.97 करोड़ और ₹ 53.95 करोड़ मूल्य की अन्य कपड़ा वस्तुओं के विनियमित आयात को जून 2013 और 2013-14 के दौरान

क्रमश: पैट्रापोल और चंगराबंध भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से अनुमत किया गया था जिससे पर्यावरण को अथाह हानि हो सकती थी और इससे एमओईएफ का मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का प्रयोजन विफल हो गया।

निवारक कमिश्नरी (प. ब.) ने कहा (सितम्बर 2014) कि वह बीयूटी ढाका द्वारा जारी एज़ो डाई जांच प्रमाणपत्र उप उच्चायुक्त, बंग्लादेश से सूचना (नवम्बर 2005) के आधार पर कि बीयूटी को बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की मान्यता दी है स्वीकार कर रहा था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि बीयूटी के बारे में उप उच्चायुक्त द्वारा प्रदान की गई सूचना बांग्लादेश सरकार द्वारा उसे ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधिकार के साक्ष्य द्वारा समर्थित नही है। इसके विपरीत बांग्लादेश सरकार ने 2006 में विशेष रूप में बीएबी की स्थापना बांग्लादेश में प्रमाणीकरण के उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में की थी। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

टर्मिनल उत्पाद शुल्क प्रतिदायों पर दत्त ब्याज

4.4 माना गया निर्यात टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के योग्य है (एफटीपी, 2004-09 का पैराग्राफ 8.3 (सी))। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 8.5.1 के अनुसार, टीईडी के प्रतिदाय में विलम्ब पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा, जिन्हें महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) संगठन के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान के लिए उसके अन्तिम अनुमोदन के 30 दिनों के अन्दर निपटाया नहीं जाएगा।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ब्याज के भुगतान के मामलों पर बार-बार प्रकाश डालने के बावजूद मंत्रालयों (वाणिज्यिक मंत्रालय/वित्त मंत्रालय) ने इस कारण भुगतानों से बचने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नही की क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अभी भी मामले ध्यान में आ रहे हैं जैसा नीचे वर्णन किया गया है:-

2010-11 और 2011-12 की अवधि के लिए संयुक्त डीजीएफटी लुधियाना के कार्यालय के टीईडी भुगतानों के रिकोर्डो की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 480 मामलों में प्रतिदाय के दावो को निर्धारित समय सीमा में निपटाया

नही गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.73 लाख के ब्याज की राशि का भुगतान किया गया था। संयुक्त डीजीएफटी, लुधियाना ने कहा (नवम्बर 2012/नवम्बर 2014) कि ब्याज का भुगतान नीति के अनुसार किया गया था और दावो का निपटान इसलिए नही किया जा सका क्योंकि डीजीएफटी, नई दिल्ली से निधियों के आवटंन में विलम्ब थे।

तथ्य यह है कि ₹ 90.73 लाख के ब्याज का भुगतान टीईडी रिफंडस के विलम्बित भुगतान के कारण किया गया था जोकि क्षेत्रीय लाइसेंसिग प्राधिकरण (आरएलए) और डीजीएफटी दिल्ली के साथ साथ वित्त मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी के कारण हुआ था और निधियों के समय पर आवंटन से इससे बचा जा सकता था।

टीईडी के अतिरिक्त प्रतिदाय के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का दोहरा प्रतिदाय

4.5 एक 100% ईओयू को एक धरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) द्वारा माल की आपूर्ति टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) के प्रतिदाय के योग्य होगी बशर्तें माल प्राप्तकर्त्ता ऐसे माल पर सनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ नही लेता (एफटीपी 2009-14 का पैराग्राफ 8.5)। इस संबंध में माल प्राप्तकर्त्ता से आयात निर्यात फार्म (एएनएफ) 8 के अनुबंध II में एक उदघोषणा आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

विकास आयुक्त (डीसी) फाल्टा सेज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक 100% ईओयू मै. मार्डन इंडिया कोन-कास्ट लि. को दो पृथक प्रतिदाय आदेशों (मई 2012 और जनवरी 2013) के अन्तर्गत अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि के लिए 380 उत्पाद शुल्क इनवायस के अन्तर्गत 56 डीटीए आपूर्तिकार्त्ताओं से माल की आपूर्ति के लिए ₹ 152.99 लाख के एक टीईडी प्रतिदाय का भुगतान किया गया था। तथापि, आवेदन के साथ संलग्न शुल्क क्रेडिट की प्रविष्टि पुस्तिका (सेनवेट क्रेडिट नियामावली 2004 के नियम 9 के तहत अनुरक्षित फार्म आर जी 23 ए भाग II) और सेनवेट रिर्टन (ईआर 2 रिर्टन) की संवीक्षा से पता चला कि 333 उत्पाद शुल्क बीजकों के संबंध में प्राप्तकर्त्ता ईओयू सेनवेट क्रेडिट भी लिया था जो हल्दिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी को प्रस्तुत ईआर-2 रिर्टन में दी गई सेनवेट क्रेडिट राशि के साथ मेल खाता था। इसके अतिरिक्त फार्म एएनएफ 8 में टीईडी के रिफड के लिए आवेदन भरते समय ईओयू दावेदार ने पैराग्राफ 10(i) में यह भी घोषणा की थी कि उनके द्वारा प्राप्त

कच्चे माल/घटकों के संबंध में उन्होंने सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत सेनवेट लाभ उठाया था। इसलिए उक्त ईओयू एफटीपी के उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत टीईडी के रिफंड का हकदार नही था।

इस प्रकार, ईओयू को आपत्ति किए गए 333 आपूर्ति बीजकों पर ₹ 143.61 लाख के टीईडी प्रतिदाय देने जबकि ऐसे माल पर प्राप्तकर्ता ईओयू ने पहले से ही सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठा लिया था, के परिणामस्वरूप टीईडी प्रतिदाय और सेनवेट क्रेडिट के रूप में उत्पाद शुल्क का दोहरा प्रतिदाय हुआ जो एफटीपी के प्रावधानों का उल्लंघन था।

मामले की सूचना मार्च 2014 मे दी गई थी और मई और जून 2014 में विकास आयुक्त, फाल्टा सेज और हल्दिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के ध्यान में लाया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई थी (जनवरी 2015)।

निर्यात माल पर फिरती का अनियमित अनुदान

4.6 वित्त मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष अधिसूचित शुल्क फिरती दरे 100% ईओयू के रूप में लाइसेंस वाली एक यू निट द्वारा निर्मित या निर्यातित उत्पाद या माल पर लागू नही होगी। ऐसी स्थिति का दिनांक 20 मई 1999 की वित्त मंत्रालय (डीआर) अधिसूचना सं. 31/1999 (एनटी)) द्वारा अधिसूचित फिरती अनुसूची के सामान्य नोट 2(सी) में पता लगाया जा सकता है जो सितम्बर 2013 तक अधिसूचित प्रत्येक अनुवर्ती फिरती अनुसूची में मौजूद होना जारी है {दिनांक 14 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 98/2013 सी शु स्थिति सं. 8 (सी)}

मै. नरेन्द्र टी क. प्रा. लि. और पांच अन्य 100% ईओयू ने कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय के माध्यम से 'भारतीय ब्लैक टी' के 81 परिषणों का निर्यात किया (मार्च 2000 और सितम्बर 2012 के बीच)। हालांकि उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार वह फिरती प्राप्त करने के लिए आयोग्य था, विभाग ने निर्यात के प्रति इन ईओयू को ₹ 33.40 लाख की फिरती संस्वीकृत की जोकि अनियमित थी और निर्यातकों से ब्याज सही सहित ₹ 71.72 लाख वसूली योग्य था।

सीमा शुल्क हाऊस कोलकाता के उपायुक्त सीमा शुल्क (आईसी) ने सूचना दी (जून 2014) की एक निर्यातक (मै. मधु जंयति इन्टरनेशनल लि.) से ₹ 1.24

लाख के ब्याज के अलावा ₹ 4.63 लाख कि फिरती की वसूली की गई है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई (जनवरी 2015)।

निर्यात माल पर फिरती का अतिरिक्त भुगतान

4.7 "सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 731204 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय माइल्ड स्टील स्ट्रेंडड वायर" एफओबी मूल्य (दिनांक 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना सं. 68/2011/सी शु (एनटी) के 3 प्रतिशत की दर से फिरती उद्ग्राहय हैं।

स्ट्रेंडड वायर्स उप-टैरिफ मद सं. 731299 के अन्तर्गत वगीकरणीय है जिसके लिए फिरती ₹ 800/एमटी की फिरती कैप सहित एफओबी मूल्य के 8.1 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य है यदि सेनवेट सुविधा नही ली गई है और यदि सेनवेट सुविधा नही ली गई तो ₹ 593/एमटी की फिरती कैप के साथ एफओबी मूल्य के प्रतिशत की दर से स्वीकार्य हैं।

इसके अलावा, दिनांक 6 अप्रैल 1995 के सीबीईसी परिपत्र सं. 34/95 सी शु के अनुसार प्रत्येक परेषण से एक नमूना लिया जा सकता है जहां प्रति शिपिंग बिल की फिरती राशि ₹ 1 लाख से अधिक है और फिरती की स्वीकार्यता मामले का निर्णय दृश्य जांच के आधार पर नही लिया जा सकता।

जांच से पता चला कि मै. यू. बी इम्पैक्स (पी) लि. एवं मै. रेबैन मेटल्स प्रा. लि. के पांच शपिंग बिलों के संबंध में सिलिगुड़ी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरियों ने अप्रैल से सितम्बर 2012 के दौरान निर्यात की गई "अनगेल्वेनाइज़ड स्ट्रेंडड वायर्स" को अखिल उद्योग फिरती अनुसूची टैरिफ मद सं. 731204 के अंतर्गत माइल्ड स्टील स्ट्रैंडड वायर के रूप में वर्गीकृत कर मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से फिरती संस्वीकृत की थी। तथापि, जाँच रिपोर्टो की संवीक्षा से पता चला कि उप मुख्य रसायनज्ञ, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उतपाद शुल्क, सीमाशुल्क हाऊस कोलकाता ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निर्यात परेषण माइल्ड स्टील का नही किया गया था क्योंकि इन सभी निर्यात परेषणों का कार्बन तत्व भार में 0.72 प्रतिशत से 0.74 प्रतिशत के बीच था जोकि माइल्ड स्टील स्ट्रेंडड वायर के रूप में निर्यात के वर्गीकरण के लिए भार में 0.35 प्रतिशत के अधिकतम अनुमेय कार्बन तत्व से काफी अधिक था। विभाग ने जाचं रिपोर्ट परिणाम पर ध्यान नही दिया और माल

को 1 प्रतिशत की फिरती के लिए सीटीएच 731299 के अन्तर्गत 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय इसे माइल्ड स्टील स्ट्रेंडड वायर के रूप में सीटीएच 731204 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया।

इसी प्रकार, मै. आर बी अग्रवाल प्रा. लि. द्वारा निर्यात (जनवरी 2012 से सितम्बर 2012) की गई ''अनगेल्वेनाइज़ स्ट्रेंडड वायर'' के और तीन परेषणों के संबंध में उसी कमिश्नरी ने अनियमित रूप से फिरती टैरिफ मद सं. 731204 के अन्तर्गत निर्यात माल की बिना नमूना जाचं किए फिरती की संस्वीकृति की जिसके परिणामस्वरूप 1 प्रतिशत की दर के बजाय 3 प्रतिशत की दर से अधिक फिरती प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.91 लाख के अधिक फिरती की संस्वीकृति की गई जों ₹ 1.26 लाख के लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

इस बारे में बताए जाने पर (फरवरी 2014) सीमा शुल्क उपायुक्त (सिलिगुडी सीमा शुल्क डिविज़न) ने कहा (मार्च/मई 2014) कि पूर्व मामले में जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान नही दिया गया था क्योंकि नमूना जांच प्राधिकारी ने उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को निर्दिष्ट नही किया; इसलिए उन्होंने विकिपिडिया से माइल्ड स्टील की परिभाषा पर भरोसा किया, जिसके अनुसार 2 प्रतिशत तक कार्बन वाले स्टील को माइल्ड स्टील माना गया था। इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचना दी की पिछले मामले में नमूने दिनांक 6 अप्रैल 1995 के परिपत्र सं. 34/95 सी शु के प्रावधानों के अनुरूप नही लिए गए थे, क्योंकि निर्यातक के इसी प्रकार के निर्यात परेषण से लिए गए पिछले नमूने जाचं प्राधिकारी द्वारा संदर्भित मानक के अनुसार थे।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि उन्होने कभी भी जांच एजेंसी से दस्तावेजों की प्रति नही मांगी जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि माइल्ड स्टील से बनी मद में कार्बन की अधिकतम अनुमत मात्रा भार के 0.35 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए। वैक्ल्पिक रूप से निर्यात किया गया माल भी विकिपिडिया से माइल्ड स्टील की संदर्भित परिभाषा में खरा नही उतरता क्योंकि जाचं रिपोर्ट के अनुसार सिलिकान (0.6 प्रतिशत), अन्य घटकों जैसे कोबाल्ट, क्रेमियम इत्यादि के साथ स्थायी प्रतिशतता में अन्य विनिर्दिष्ट एलोइंग एजेंट मैंगनीज़(1.65 प्रतिशत) कापर (0.6 प्रतिशत) और

सिलिकान (0.6 प्रतिशत) अनिवार्य रूप में उपस्थित होने चाहिए, और उक्त परिभाषा में उल्लिखित भिन्न प्रतिशतता भी निर्यातकिए गए माल में उपस्थिति नहीं थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 6 अप्रैल 1995 के परिपत्र या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कोई अन्य प्रावधान विभाग को किसी अन्य एजेंसी से किसी अंसगत जांच रिपोर्ट के बिना जाचं रिपोर्ट के परिणाम को खारिज करने के लिए संशक्त नही करता। बाद के मामलों में उक्त परिपत्र के प्रावधानों की शर्तों में नमूना जांच अनिवार्य थी क्योंकि आपत्ति वाले मामलों में विभाग द्वारा संस्वीकृत फिरती प्रत्येक में ₹ 1 लाख से अधिक थी। बाद में, सीमा शुल्क उपायुक्त सीमा शुल्क डिविजन सिलिगुड़ी ने निर्यातक को एससीएन जारी किया (मई 2014)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2015)।

अयोग्य माल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क की वापसी

4.8 बाद में बिक्री हेतु भारत में आयातित माल पर 4 प्रतिशत की दर से एकत्रित सीमाशुल्क अतिरिक्त शुल्क को आयातक को वापिस किया जा सकता है बशर्ते वह दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007 सी शु की शर्तों का अनुपालन करे। अन्य बातों के साथ साथ अधिसूचना की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं कि एसएडी की वापसी उस मामले में उपलब्ध है जहां किसी प्रक्रिया को किए बिना आयातित माल बाद में वैट के भुगतान के बेचा जाता है। इस बिन्दु को आगे दिनांक 29 जून 2010 के परिपत्र सं. 15/2010 सी शु द्वारा स्पष्ट किया गया जिसमे बल दिया गया कि यदि आयातित और बेचा गया माल विशिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तो एसएडी की वापसी स्वीकार्य है।

मै. बंगाल टूल्स लि. कोलकाता जो शराची ब्रांड के तहत 'पावर टिल्लर्स' का संयोजन और बिक्री करता है ने चीन से पूरे पावर टिल्लर्स के साथ-साथ पावर टिल्लर बाडी और चीन और थाइलैडं से डीज़ल इंजन आयात किए और दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना के तहत उन पर दत्त एसएडी की वापसी का दावा किया था। आयातित पावर टिल्लर पर प्रतिदाय देते समय विभाग ने आयातित 'पावर टिल्लर बाडी' और डीज़ल इंजन (सीटीएच-84089090) जिन्हें विभिन्न देशों द्वारा अलग से आयात

किया गया था और भारत में अन्तिम माल की मंजूरी से पूर्व अन्य सभी सहायक पुर्जों सहित पावर टिल्लर (सीआईएच 84329090) के रूप में संयोजित किया था, पर भी एसएडी का प्रतिदाय अनुमत किया। चूंकि भारत में बिक्री से पूर्व आयातित माल संयोजन प्रक्रिया से गुजरा और उनके सीटीएच अन्तिम उत्पाद से भिन्न थे, भारत में बेचा गया माल आयातित माल के रूप में समान नहीं था। इस प्रकार, यह आयातित माल एसएडी के प्रतिदाय के पात्र नही थे। इस प्रकार, सितम्बर 2010 और जून 2011 के बीच जारी पांच प्रतिदाय आदेशों के तहत 21 बिलों की प्रविष्टि के माध्यम से अयोग्य आयातों पर प्रतिदाय की संस्वकृति के परिणामस्वरूप ₹ 26.59 लाख के एसएडी की अधिक वापसी हुई।

सीमा शुल्क हाऊस, कोलकाता के सीमाशुल्क उपायुक्त ने भारतीय बाजार में उनकी बिक्री से पूर्व आयातित माल पर संयोजन की प्रक्रिया स्वीकारते हुए (फरवरी 2012/जून 2014) इस आधार पर प्रतिदाय देने को तर्कसंगत बताया कि ऐसी प्रोसेसिंग निर्माण के समान नहीं है।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि इस मामले में आयातित माल का वर्गीकरण (सीटीएच 84089090) बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद से भिन्न है (सीटीएच 84329090) तदनुसार एसएडी प्रतिदाय के लिए अयोग्य है जैसा जून 2010 के बोर्ड परिपत्र में दोहराया गया है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई (जनवरी 2015)।

लागू एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगाकर आयातों की मंजूरी

4.9 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 ए के अनुसार जब किसी देश से भारत में किसी वस्तु के सामान्य मूल्य से कम पर आयात किया जाता है तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार एक अधिसूचना द्वारा एक एंटी डम्पिंग शुल्क लगा सकता है। तदनुसार, समय समय पर एंटी डम्पिंग शुल्क 'सोडियम एस्कोरबेट' 'फोसफोरिक एसिड' मेलामाइन और ग्लास फाइबर इत्यादि जैसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जब इन्हें ताइवान साऊदी अरेबिया ओर चीन जैसे विशिष्ट देशों से आयात किया जाता है।

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने मै. बजाज हेल्थकेयर लि. द्वारा ऐसे आयातित माल के 23 परेषणों और विशिष्ट देशों से अन्य 12 की ₹ 73.00 लाख की एंटी डम्पिंग शुल्क लगाए बिना या कम लगाए मंजूरी दी।

मंत्रालय/विभाग ने तीन आयातकों (जेएनसीएच, मुम्बई, ₹ 3.29 लाख–मै. बालाजी इम्पैक्स) (आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली मै. ओरियंट पेपर एडं इंडस्ट्रीज लि. ₹ 0.60 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.89 लाख और मै. आदित्य इंटरनेशनल ₹ 0.80 लाख) से ₹ 7.98 लाख की वसूली बताई ओर दो आयातकों (i) मै बजाज हेल्थकेयर लि. जेएनसीएच मुम्बई और (ii) मै. क्लासिक प्राइम-जेएनसीएच मुम्बई को कम प्रभार/कारण बताओ नोटिस जारी किए। आठ आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)।

आयातित माल पर अत्याधिक प्रोत्साहन की अनुमति

4.10 भारत सरकार ने ऐसी वस्तुओं को अधिसूचित किया था जिनका खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) उनके प्रति में निर्धारित प्रोत्साहन अनुमत करने के बाद (दिनांक 24 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-सीई (एनटी)) (यथा संशोधित) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 108, 109 के प्रति वाहनों/आटोमोबाइल्स के भाग घटक और संयोजन जो सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) के किसी अध्याय के तहत आते हो ओर सीटीएच 8429 के तहत आने वाली अर्थमूविंग मशीनरी/एक्सकेवेटर्स को 30 प्रतिशत के प्रोत्साहन की अनुमति के बाद उनके आरएसजी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

मै. योकोहामा इंडिया प्रा. लि और 27 अन्य ने आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'कार' और ट्रक टायर के साथ ट्यूब और फ्लैक्स, पिस्टन सेट/अर्थमूविंग मशीनरी/एक्सकेवेट्र्स के 99 परेषण आयात किए (अगस्त 2013 से मार्च 2014)। माल को सीटीएच/4011/8409/8429/8431 के तहत वर्गीकृत किया गया था आरएसपी के संदर्भ में 12 प्रतिशत की दर से सीवीडी का निर्धारण किया गया और 35 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुमत किया गया था।

चूंकि कार और ट्रक टायर के साथ ट्यूब और फ्लैप्स/पिस्टन सेट वाहन/आटोमोबाइल का भाग थे जबकि अर्थमूविंग मशीनरी/एक्सकेवेटर्स भाग सीओएच 8429 के तहत वर्गीकरणीय है। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सीवीडी 35 प्रतिशत के प्रोत्साहन के बजाय 30 प्रतिशत का प्रोत्साहन

अनुमत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, आरएसपी पर अत्याधिक प्रोत्साहन की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 33.51 लाख की शुल्क राशि कम लगाई गई।

आईसीडी तुगलकाबाद, सीमा शुल्क कमीश्नरी ने (अक्टूबर/दिसम्बर 2013, सितम्बर 2014) 10 परेषणों में ₹ 0.32 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.55 लाख की वसूली की सूचना दी ओर 10 परेषणों के संबंध में ₹ 2.71 लाख की सुरक्षात्मक मांग जारी की (अक्टूबर 2013) बाकी 79 परेषणों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

लागू शुल्क न लगाना

4.11 सीमाशुल्क आयुक्त (पोर्ट) कोलकाता के आदेश (अक्टूबर 2011) के अनुसार डीआरआई/एसआईबी चेतावनी नोटिस (मई 2011) की सूची से बाहर आने वाले आयातित पोलिस्टर कोटड, एवं नाइलान कोटड कपड़े' के लम्बित मूल्यांकन (अगस्त 2011 से) को सीमा शुल्क आयुक्त आईसीडी-टीकेडी द्वारा आयातित माल के मूल्य को बढ़ाने के अनुसरित प्रथा के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना था (i) 0.25 मी. मी. कपडे की मोटाई तक से यूएस $ 0.35/मीटर (ii) 0.35 मी. मी. कपडे की मोटाई से यूएस $ 0.5/मीटर (iii) 0.35 मी मी कपडे की मोटाई से यूएस डालर में अधिक से 1.4 गुना मोटाई बशर्ते न्युनतम 0.5 यूएसडी/मीटर हो और नायलान के मामले में संवर्धित मूल्य पॉलिस्टर से 20 प्रतिशत अधिक हो। तथापि, डीआरआई सूची में आने वाले माल (0.25 मी मी की मोटाई से कम कपडा) को डीआरआई (यूएस $ 0.91/मीटर) द्वारा निर्धारित दर पर मूल्यांकित किया जाना था। इस आदेश के आधार पर विभाग ने छः फाइल मामलों में 15 अंनतिम निर्धारण प्रविष्टि के बिलो (बीई) में ₹ 22.27 लाख का अंतरीय शुल्क एकत्र किया।

मै. अनुकूल एटरंप्राइस प्रा. लि. एवं मै. मापसा टेपस प्रा.लि. ने कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय के माध्यम से "पोलिस्टर फेब्रिक पीवीसी बैकिंग सहित" का आयात किया (जून 2011 से जुलाई 2011) और ऐसे माल के मूल्यांकन को अन्तिम रूप न देने के कारण उनका अनंतिम निर्धारण किया गया (अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011) अन्तिम रूप देने पर, शुल्क का अन्तर, यदि कोई हो तो, उसका भुगतान करने की वचनबद्वता के साथ पीडी टेस्ट बाडं की प्रस्तुती पर किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रयोगशाला टेक्सटाइल समिति (कोलकाता) से प्राप्त

आयातित परेषणों से एकत्रित नमूनों की जाँच रिपोर्टों से अन्य बातों के साथ साथ पता चला कि नमूनों की मोटाई 0.41 मी मी से 0.58 मी मी के बीच थी। नमूना जांच रिपोर्ट से कपडे की मोटाई पर विचार करते हुए, दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के सीमाशुल्क आयुक्त के आदेश के अनुसार आयातित परेषणों का संशोधित मूल्य वाणिज्यिक चलानों और अनुरूपी प्रविष्टि के बिलों में घोषित के काफी अधिक पाया गया था जो अन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क की तुलना में अधिक सीमा शुल्क का अधिक एकत्रण करते। तथापि, विभाग ने इन सभी मामलों में जैसा कि ऊपर उल्लिखित है अंतरीय शुल्क के एकत्रण के बिना अनुरूपी बैंक गारंटी के साथ अनंतिम शुल्क (पीडी) बांड दे दिया (जनवरी 2012 से जुलाई 2012)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.59 लाख का कम कर लगा जिसे लागू ब्याज सहित वसूलने की आवश्यकता है।

सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क हाऊस कोलकाता ने सूचना दी (दिसम्बर 2012) कि सीमाशुल्क आयुक्त (पोर्ट) का अक्टूबर 2011 का आदेश आपत्ति किए गए प्रविष्टि के बिलों (बी.ईज़) पर लागू नहीं था क्योंकि वह उक्त आदेश से पूर्व अवधि से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि आयातित माल डीआरआई सूची के तहत नही आते, उनका निर्धारण मूल्यांकन ग्रुप में उपलब्ध मूल्य के आधार पर किया जाता था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि आपत्ति किए गए बीजई दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के आदेश से पूर्व अवधि से संबंधित थे किन्तु उनका अनंतिम रूप से निर्धारण (अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011) केवल 4 अगस्त 2011 के सीमाशुल्क आयुक्त के आदेश के आधार पर किया गया था जिन्हें बाद में 3 अक्टूबर 2011 के आदेश के अन्तर्गत जारी निर्देशो के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना था। इसके अलावा, उसी मूल्यांकन ग्रुप द्वारा आपत्ति किए गए बीज़ई की तिथि से पूर्व और बाद की अवधि से संबंधित 15 बी.ईज़ के दिनांक 3 अक्टूबर 2011 के आदेश के आधार पर अन्तिम निर्धारण से पता चलता है कि उक्त आदेश आपत्ति किए गए बीज़ई पर भी लागू थे। इस बारे में विभाग को मार्च/अप्रैल 2013 में सूचना दी गई थी, उनका उत्तर प्रतिक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जनवरी 2015)।